

NOTICE – GENERAL


No.: REG./GEN/2020-21/68

10 July 2021

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2020–21)
(अनुसूचित जाति/जनजाति, एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु)

संस्थान में अध्ययनरत् सत्र 2020–21 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship Fee Reimbursement) हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020–21 हेतु उ०प्र० शासन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Postmatric Scholarship Fee Reimbursement) के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक C-670/स०क०/दशमो०छा०/2020–21 दिनांक 08 जुलाई, 2021 में दिये गये निर्देशानुसार, जिन छात्र/छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था तथा जिनकी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत हुई है और उनका बैंकों के विलय होने के फलस्वरूप स्टेटस (Status) रिजेक्ट (Reject) दिखा रहा है ऐसे सभी छात्र/छात्रायें अपने बैंकों के विलय के उपरान्त प्राप्त बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से पुनः तत्काल लिंक कराते हुए एक्टिव कर लें जिससे समाज कल्याण विभाग अग्रिम कार्यवाही कर सके।

आज्ञा से,



(डा० सतीश चन्द्र)

कुलसचिव

10/07/2021